श्री ५ को सरकार

## कानून तथा न्याय मन्त्रालय

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले बनाइबक्सेको तल लेखिएबमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छः—

२०२७ सालको ऐन नं. ४

**स्वस्तिश्री गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत महेन्द्रमाला परम नेपालप्रतापभास्कर ओजस्विराजन्य परम गौरवमय तेजस्वी त्रिभुवनप्रजातन्त्रश्रीपद परम उज्ज्वल कीर्तिमय नेपालश्रीपद परम प्रोज्ज्वल नेपालतारा परम पवित्र ॐरामपट्ट परम ज्योतिर्मय सुविख्यात त्रिशक्तिपट्ट परम सुप्रसिद्ध प्रबल गोरखादक्षिणबाहु परमाधिपति अतिरथी परम सेनाधिपति श्री श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव देवानाम् सदा समरविजयिनाम् ।**

### श्री ५ को सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वित गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः— श्री ५ को सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वित गर्न केही कर, महसूल, पोत र दस्तूर लगाउन तथा लगाई राखेकोलाई चालु राख्न र हेरफेर गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः— (१) यस ऐनको नाम "आर्थिक ऐन, २०२७" रहेको छ ।

(२) यो ऐनको दफा १, दफा २, दफा ३, दफा ५ दफा ९ र दफा १०, २०२७ साल आषाढ २२ गतेदेखि र अरू दफाहरू २०२७ साल श्रावण १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. भन्सार महसूलः— आर्थिक वर्ष २०२७।२८ सम्म नेपाल अधिराज्यबाट विदेशमा निकासी हुने र विदेशबाट नेपाल अधिराज्यभित्र पैठारी हुने माल वस्तुहरूमा अनुसूची १,२,३ र ४ बमोजिम भन्सार महसूल लगाइने र असूलउपर गरिनेछ ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

९३८

३. बिक्री करः— आर्थिक वर्ष २०२७।२८ सम्म अनुसूची ५ बमोजिम बिक्री कर लगाइने र असूलउपर गरिनेछ ।

४. मालपोतः— आर्थिक वर्ष २०२७।२८ मा आर्थिक ऐन, २०२६ बमोजिम मालपोत लगाइने र असूलउपर गरिनेछ ।

स्पष्टीकरणः— मालपोत भन्नाले भूमि करसमेतलाई जनाउँछ ।

५. रजिष्ट्रेशन दस्तूरः— आर्थिक वर्ष २०२७।२८ सम्म आर्थिक ऐन, २०२६ बमोजिम रजिष्ट्रेशन दस्तूर लगाइने र असूलउपर गरिनेछ ।

तर, नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशन, कृषि विकास बैंक र भूमिसुधार बचत संस्थानले औद्योगिक र कृषि कर्जा दिइएको कारोवारमा रजिष्ट्रेशन दस्तूर माफ गरिएको छ ।

६. हवाई उडान करः— आर्थिक वर्ष २०२७।२८ मा आर्थिक ऐन, २०२६ बमोजिम हवाई उडान कर लगाइने र असूलउपर गरिनेछ ।

७. पानी करः— आर्थिक वर्ष २०२७।२८ मा आर्थिक ऐन, २०२६ बमोजिम पानी कर लगाइने र असूलउपर गरिनेछ ।

८. पानीपोतः— आर्थिक वर्ष २०२७।२८ मा आर्थिक ऐन, २०२६ बमोजिम पानीपोत लगाइने र असूलउपर गरिनेछ ।

९. आय टिकट दस्तूरः— आर्थिक वर्ष २०२७।२८ मा आर्थिक एन, २०२६ बमोजिम आय टिकट दस्तूर लगाइने र असूलउपर गरिनेछ ।

१०. आय करः— आर्थिक वर्ष २०२७।२८ मा आर्थिक ऐन, २०२६ बमोजिम आय कर लगाइने र असूलउपर गरिनेछ ।

तरः—

(१) आय कर सुविधा पाएका र पाउने उद्योगहरूले आय विवरण दाखिल गर्नपर्नेछ ।

(२) उद्योगको आफ्नो औद्योगिक आयमा मात्र आय कर छुट गरिएको छ ।

११. शहरी क्षेत्रको घर जग्गामा करः— आर्थिक वर्ष २०२७।२८ मा आर्थिक ऐन, २०२६ बमोजिम शहरी क्षेत्रको घर जग्गामा कर लगाइने र असूलउपर गरिनेछ ।

१२. ठेक्का करः— (१) आर्थिक वर्ष २०२७।२८ मा आर्थिक ऐन, २०२६ बमोजिम ठेक्का कर लगाइने र असूलउपर गरिनेछ ।

(२) आर्थिक वर्ष २०२७।२८ देखि चर्सा र सुंगुरको जगरसम्बन्धी ठेक्का खारेज गरिएको छ ।

१३. होटेल करः— आर्थिक वर्ष २०२७।२८ मा आर्थिक ऐन, २०२६ बमोजिम होटेल कर लगाइने र असूलउपर गरिनेछ ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

# भन्सार महसूल दरबन्दी

## अनुसूची– १

गणतन्त्र चीनको तिब्बत क्षेत्रबाहेक अन्य मुलुकहरूमा नेपाल अधिराज्यबाट निकासी हुने माल वस्तुहरूको भन्सार महसूल दरबन्दी

| सङ्केत नम्बर | माल वा वस्तुको नाम | एकाई | निकासी महसूल दर |
|---|---|---|---|
| २९१–०९३ (क) | प्राकृतिक कस्तुरी विना | प्रतितोला | रू. १०। |
| | | वा मो.प्र.श. | २ |
| | | जुन बढी हुन्छ | |
| २९१–०९३ (ख) | धूलो कस्तुरी | प्रतितोला | रू. १६। |
| | | वा मो.प्र.श. | २ |
| | | जुन बढी हुन्छ | |
| २७२–१३ (क) | अभ्रख कोरा (प्राकृतिक) | प्रति के. जी. | रू. २। |
| | | वा मो.प्र.श. | २ |
| | | जुन बढी हुन्छ | |
| २७२–१३ (ख) | अभ्रख (साइज मिलाई काटेको) | प्रति के. जी. | रू. ३। |
| | | वा मो.प्र.श. | ३ |
| | | जुन बढी हुन्छ | |

अधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| २९१–०९१ | सुंगुरको जगर | प्रति के. जी. | रू. ६।५० |
| २११–०१ | गाई, गोरू, रांगा, भैंसी,चौरी, लुसुवा, झोपाको काँचो र तयारी छाला | थान एकको | रू. ५।५० |
| २११–०२ | ऐजनको वाछावाछी, पाडापाडीको काँचो र तयारी छाला | ऐ ऐ | रू. ५। |
| २११–०३ | भेंडा, बाख्रा, बोका, खसी, च्यांग्रा, र तिनका पाठापाठीको काँचो र तयारी छाला | ऐ ऐ | २।२५ |
| २१२–०१२(क) | चितुवा र अन्य बाघ जातिको काँचो र तयारीछाला | ऐ ऐ | रू.२००। |
| २१२–०१२(ख) | बाघको काँचो र तयारी छाला (शेर) | ऐ ऐ | रू.५००। |

द्रष्टव्यः– यस अनुसूची १ मा नपरेका माल वस्तुहरूमा आर्थिक ऐन, २०२६ को अनुसूची १ बमोजिम भन्सार महसूल लिइनेछ।

अधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।

# भन्सार महसूल दरबन्दी

## अनुसूची– २

नेपाल अधिराज्यमा पैठारी हुने माल वस्तुहरूको भन्सार महसूल दरबन्दी

| संकेत नम्बर | माल वा वस्तुको नाम | एकाई | भारतबाट (ए. आर. वन. फा-रामबाट बाहेक) पैठारी भए-को मालमा लाग्ने | | गणतन्त्र चीनको तिब्बत क्षेत्र बाहेक अन्य मुलुकरूबाट पैठारी भएको मालमा लाग्ने | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पैठारी महसूल दर | मोलमाथि लाग्ने सरचार्ज (प्रतिशतमा) | पैठारी महसूल दर | मोलमाथि लाग्ने सरचार्ज (प्रतिशतमा) |
| | | | १ | २ | ३ | ४ |
| ०५३–०३ | मुरब्बा (जाम मार्मलेड) फलफूलको जेली, फलफूलको गुदि र माडा टिन प्याक गरिएकोसमेत | मो.प्र.श. | १५ | १० | २० | १० |
| ०५३–०४ | फलफूलको ताजा रस (जुस) सिरफ, स्क्वास | मो.प्र.श. | १५ | १० | २० | १० |
| ०७४–०११ | चिया | मो.प्र.श. | १२ | १२ | – | – |
| | | किलोग्राम | – | – | १८० | १२ |
| ०७४–०१३ | लुज चिया (फुकुवा) | मो.प्र.श. | १२ | १२ | १४ | १२ |
| ०७४–०१४ | कोरा चियाको पात | किलोग्राम रू. | १२ | १२ | १४ | १२ |
| ११२–०१ | बियर ६ प्रतिशतभन्दा कम्ती अल्कोहल वा साढे दश | | | | | |

अधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रतिशतभन्दा कम्ती प्रूफ (लण्डनप्रूफ) स्पीरिट भएको प्रति लिक्वीड (तरल) | ग्यालेन रू. | ११।२५ | ७० | ११।२५ | ७० |
| | | वा मो.प्र.श. | ५६ | ७० | ५६ | ७० |
| | | जुन बढी हुन्छ | | | | |
| ११२–०२ | ब्राण्डी, ह्विस्की, कोनाक, रम, जिन, भोडका मोथाई, अक्वाभिटा, डिस्टिल गरी झिकेको रक्सीहरू प्रति प्रूफ स्पीरिट | ग्यालेन रू. | ३३०। | ७० | ३३०। | ७० |
| | | वा मो.प्र.श. | ३०० | ७० | ३०० | ७० |
| | | जुन बढी हुन्छ | | | | |
| ११२–०३ | वाइन सबै किसिमको रस, अरख वा प्राकृतिक रक्सी सेम्पेन भरमाउथ कंपारीसाइडर लिक्योर र टेवल वाइन समेत प्रति प्रूफ स्पीरिट | ग्यालेन रू. | २५०। | ३५ | २५०। | ३५ |
| | | वा मो.प्र.श. | १७५ | ३५ | १७५ | ३५ |
| | | जुन बढी हुन्छ | | | | |
| १२२–०२१ | सिगरेट (चुरोट) प्रतिहजार खिल्ली रू. १०।– सम्म मोल पर्ने | | | प्रतिहजार खिल्ली | | प्रतिहजार खिल्ली |
| | | मो.प्र.श. | ८० | रू. १२। | ८८ | रू. १२। |
| १२२–०२२ | सिगरेट (चुरोट) रू. १०। भन्दा बढी रू. ३४।– सम्म मोल पर्ने | मो.प्र.श. | १०० | १२। | ११० | १२। |
| १२२–०२३ | सिगरेट (चुरोट) रू ३४। भन्दा बढी मोल पर्ने | मो.प्र.श. | १३६ | १३।५० | १५० | १३।५० |
| ३१३–०४५ | जूट व्याचिंग आयल | मो.प्र.श. | १ | – | १ | – |

अधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएको मात्र मान्य हुनेछ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ६९९–०७ | सबै धातुबाट बनेका किला, छेस्कन, ढिम्री, पेचको ढिम्री, कस्ने मुन्द्री, रिकेट, पेचकिला र त्यस्तै चीज | मो.प्र.श. | १० | ७ | १० | ७ |
| ६५१–०७ | मेटालिक यार्न (सुन चाँदि) वा अरू धातु मिसिएको धागो | मो.प्र.श. | ३८ | – | ३८ | – |
| ६५३–०५१ | नाइलन, टेरेलिन, डेक्रोन आदि यस्तै कपडा | मो.प्र.श. | २२ | १० | ३५ | १० |
| ६५३–०६ | धातु मिसिएको धागोबाट बनेको कपडाहरू जस्तै तास, तिनखाफ, ब्रोकेड आदि | मो.प्र.श. | ३० | १० | ३० | १० |
| ५५२–०२२ (क) | जूट वैंचिंग सोप | मो.प्र.श. | १ | – | १ | – |
| ५४१–०५ | सन्तति निरोधक औषधि तथा सोधन | | माफी | – | माफी | – |
| ७३२–०१ (क) | मोटरकार (वाइगनकार समेत) १३०० सि.सि. सम्मको | मो.प्र.श. | ९० | – | ९० | – |
| | | वा प्रति गाडि न्यूनतम रू. | ४३७५। | २० | ४३७५। | २० |
| | | जुन बढी हुन्छ | | | | |
| ७३२–०१ (ख) | ऐ १३०१ सि. सि. देखि २००० सि. सि. सम्म | मो.प्र.श. | ११० | – | ११० | – |
| | | वा प्रति गाडि न्यूनतम रू. | ७०००। | २० | ७०००। | २० |
| | | जुन बढी हुन्छ | | | | |
| ७३२–०१ (ग) | ऐ २००१ सि. सि. देखि २९०० सि. सि. सम्म | मो.प्र.श. | १२५ | – | १२५ | – |
| | | वा प्रति गाडि न्यूनतम रू. | ११३७५। | २० | ११३७५। | २० |
| | | जुन बढी हुन्छ | | | | |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ७३२–०१ (घ) | ऐ २९०१ सि. सि. देखि बढी सि. सि. को | मो.प्र.श. | १६० | – | १६० | – |
| | | वा प्रति गाडि | | | | |
| | | न्यूनतम रू. | १५७५०। | २० | १५७५०। | २० |
| | | जुन बढी हुन्छ | | | | |
| ७३२–०२ (क) | जीप, ल्याण्डरोवर, स्टेशन वाइगन, क्रस कन्ट्री- | मो.प्र.श | ७५ | – | ७५ | – |
| | कार (रसियन गाडि जीप) भ्यान र माइक्रोवस | वा प्रति गाडि | | | | |
| | | न्यूनतम रू. | ५२५०। | २० | ५२५०। | २० |
| | | जुन बढी हुन्छ | | | | |
| ७३२–०२ (ख) | पिकअप भ्यान | मो.प्र.श. | ५३ | – | ५३ | – |
| | | वा प्रति गाडि | | | | |
| | | न्यूनतम रू. | ३०००। | २० | ३०००। | २० |
| | | जुन बढी हुन्छ | | | | |
| ७३२–०३ (क) | मोटरसाइकल, र मोटर भएका सबैकिसिमका | मो.प्र.श. | २० | १० | २५ | १० |
| | साइकल, अटोसाइकल, स्कूटर, अटोरिक्सा र | वा प्रति गाडि | | | | |
| | अरू तीन पहियावाला गाडीहरू | न्यूनतम रू. | ५४४। | १० | ६८०। | १० |
| | | जुन बढी हुन्छ | | | | |
| ८२१–०१ | काठको फर्निचर | मो.प्र.श. | २५ | – | ३० | – |
| ८२१–०२ | धातुको फर्निचर सबै किसिमको | मो.प्र.श. | २५ | – | ३० | – |
| ८२१–०३ | फर्निचर अन्यत्र नपरेको बाँस, बेत छाला र रबर आदिको | मो.प्र.श. | २५ | – | ३० | – |
| ८५१– | जुत्ता जात गैह्र | मो.प्र.श. | ११ | ७ | १३ | ७ |

अधिकारिकता मूल्यांकन विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ

३४८६

द्रष्टव्य:–

(क) आर्थिक ऐन, २०२५ को अनुसूची २ को नोटको (१) र (२) आर्थि ऐन, २०२६ ले कायम गरेको सट्टा निम्नबमोजिम (१) र (२) कायम गरिएको छ ।

(१) मोल प्रतिशत महसूल वा सरचार्ज वा दुबै लाग्नेमा मूल्य कायम गर्दा नेपाल अधिराज्यको भन्सारसम्म पर्ने आएको ढुवानी र विमा खर्च समेत जोडी पैठारी महसूल लिइनेछ तर, भारत र गणतन्त्र चीनको तिब्बत क्षेत्रको लागि उपर्युक्त बमोजिम मूल्य कायम गरिने छैन ।

(२) भारत, मोस्ट फेवर्ड नेशनहरू र गणतन्त्र चीनको तिब्बत क्षेत्रबाहेक अन्य मुलुकबाट पैठारी भएको माल वस्तुमा पैठारी महसूल (महल नं. ३ को) ५ प्रतिशत बढाई असूल गरिनेछ ।

(ख) यस अनुसूचीमा नपरेका वस्तुहरूमा आर्थिक ऐन, २०२६ को अनुसूची २ बमोजिम पैठारी महसूल र सरचार्ज असूलउपर गरिनेछ ।

आधिकारिकता सुदृण विभागबाट प्रमाणित गरिएकोछ मात्र लागु हुनेछ।

# भन्सार महसूल दरबन्दी

## अनुसूची– ३

नेपाल अधिराज्यबाट गणतन्त्र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा निकासी हुने र सो क्षेत्रबाट नेपाल अधिराज्यमा पैठारी हुने माल वस्तुको भन्सार महसूल र सरचार्ज आर्थिक ऐन, २०२६ को अनुसूची ३ बमोजिम असूल उपर गरिनेछ।

अधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र मान्य हुनेछ

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार

## अनुसूची– ४

### भारतबाट ए. आर. वन. फारामद्वारा पैठारी हुने मालमा लाग्ने सरचार्ज

| क्रम संख्या | मालको नाम | एकाई | सरचार्जको दर |
|---|---|---|---|
| १. | चिया | मोल प्रतिशत | १२ |
| २. | जाम, जेली, स्क्वास, जुस आदि | ऐ | १० |
| ३. | सिगरेट (चुरोट) | | |
| | (क) रू. १० सम्म मोल पर्ने | प्रति हजार | रू. १२। |
| | (ख) रू. १० सम्मभन्दा बढी रू. ३४ सम्मको मोल पर्ने | ऐ | १२। |
| | (ग) रू. ३४ भन्दा बढी मोल पर्ने | ऐ | १३।५० |
| ४. | जुत्ता | मो.प्र.श. | ७ |

द्रष्टव्यः–

सय अनुसूचीमा उल्लेख नभएको माल ए. आर. वन. फारामबाट पैठारी भएमा आर्थिक ऐन, २०२६ को अनुसूची ४ बमोजिम असूलउपर गरिनेछ ।

अधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र खरा हुनेछ।

अधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार

# बिक्रीकरको दरबन्दी

## अनुसूची ५

| सङ्केत नम्बर | माल वा वस्तुको नाम तथा विवरण | मूल्यको प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| | | ५ प्र. श. | ९ प्र. श. |
| | १. तयारी छाला | | |
| १– ३ | सबै किसिमका जीवजन्तुको छाला | ५ | – |
| १– ४ | सबै किसिमका छाला र सिन्थेटिक छालाबाट तयार भएका सामानहरू | – | ९ |
| | २. काठ र काठबाट बनेका मालसामानहरू | | |
| २– ७ | काठ र कर्कबाट बनेका सामानहरू | – | ९ |
| | ३. धागो तथा कपडा | | |
| ३–१४ | धातु, सुन, चाँदीका धागो वा ती मिसिएको धागोहरू र त्यसबाट बनेका कपडाहरू | – | ९ |
| ३–१५ | होजिएरी कपडा | – | ९ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३–१६ | सबै किसिमको मैनकपडा र त्रिपाल, पाल, कनाथसमेत | – | ६ |
| ३–१७ | रबर, लिनोलियम वा अरू सामान मिश्रित भएका कपडाहरू | – | ६ |
| ३–१८ | ग्याँठवाला कपडा र इलाष्टिक फित्तासमेत | – | ६ |
| ३–१९ | कपडा वा यस्तै अन्यत्र नपरेका मालहरू जस्तै- लालटीन, स्टोवको बत्ती, होज पाईप, मेशीनको बेल्ट, मेन्टलको जाली, बक्स, शोल्डरप्याड आदि | – | ६ |
| ३–२० | ऊनी, सूती, रेशमी वा कृत्रिम रेशाबाट बनेका चादर, कम्बल, शाल, रग, दोसल्ला आदि | – | ६ |
| ३–२१ | सबै किसिमको कपडा र त्यसबाट तयार भएका सामानहरू (अन्यत्र नपरेको) | – | ६ |
| ३–२२ | जूट (पाट), कपास, सिमलको भुवा र अन्य वनस्पति रेशा | ५ | – |
| | ४. फ्लोरिंगका सामानहरू | | |
| ४– ४ | जूट, कार्पेट, अन्य फ्लोरिंग र फर्निसिंगका सामानहरू | – | ६ |
| | ७. सिमेण्ट तथा सामानहरू | | |
| ७– ४ | सिमेण्ट तथा अन्य खनीज पदार्थबाट बनेको निर्माण सामग्रीहरू | – | ६ |
| | ८. धातुबाट बनेका सामानहरू | | |
| ८–१४ | टयूववेल र ऐजनका सामानहरू | ५ | – |
| ८–१५ | खालि ड्रम, टीन र कन्टनरहरू | ५ | – |
| ८–१६ | सेफ, क्यासवक्स र धातुको फर्निचरहरूसमेत | – | ६ |
| ८–१७ | सबै किसिमको मेटालाइज्ड पेपर | – | ६ |
| ८–१८ | सबै किसिमको ढक, काँटा (तौल गर्ने) | ५ | – |

आधिकारिकता सुदृढ गर्न वित्तमन्त्रालय प्रमाणित गरिएपछि मात्र मान्य हुनेछ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ८–१९ | धातु वा ऐजनको मिश्रणबाट बनेको मालसामानहरू अन्यत्र नपरेको जस्तै- सिगरेट केश, साँचोको रिंग, खिप, हूप, तार ,तारको ब्रूस, मेन्टोल आदि | – | ९ |
| ८–२० | सबै किसिमका धातुका टुक्राटुक्रीहरू | ५ | – |
| | ९. रबर, कृत्रिम रबर र सोबाट बनेको सामानहरू | | |
| ९– ५ | प्लाष्टीक र ऐजनबाट बनेका सामानहरू | – | ९ |
| ९– ६ | पोलिथिन पेपर, बेग र अन्य तयारी सामानहरू | – | ९ |
| | १०. शृङ्गारका सामानहरू | | |
| १०– ९ | सबै किसिमको सफा गर्ने धूलो, झोल आदि पदार्थहरू जस्तै- टिनोपाल, भीम पाउडर, काष्टिक सोडा इत्यादि | – | ९ |
| | ११. काँच र पोर्सिलिनका सामानहरू | | |
| ११– ६ | चिनियाँ माटोबाट बनेका सबै किसिमका सामानहरू | – | ९ |
| | १२. कागज र त्यसबाट बनेका सामानहरू | | |
| १२– ३ | कागज वा पल्पको बोर्ड (वार्निस वा अलकत्रा लगाएको समेत) | – | ९ |
| १२– ४ | कागजबाट बनेका अन्य सामानहरू जस्तै- झोला, कन्टेनरहरू, साधारण प्याक गर्ने कागज, न्यापकीन, ट्वाइलेट पेपर, खाक्सी | – | ९ |
| | १३. अफिसका सामानहरू | | |
| १३– ३ | अफिसमा प्रयोग हुने अन्यत्र नपरेका मेशीन र स्टेशनरी सामानहरू (तर साधारण लेखपढका सामानहरू जस्तै- कागज, सिसाकलम, मसी भर्न नहुने होल्डर, इरेजर, रूलर, रजिष्टर, कापी, मसी, स्वदेशी खाम, फायल र इन्स्ट्रुमेन्टबक्सबाहेक) | – | ९ |

अधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र मान्य हुनेछ

९५२

अधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | १४. मेशीन तथा बिजुलीका सामानहरू | | |
| १४– ८ | बिजुलीको सबै किसिमको मिटर, औजार, ज्यावल, यन्त्र, जेनेरेटर, प्रोजेक्टर, मोटर र वेल्डींगका सामानहरूसमेत् | ५ | – |
| | १६. सफरका सामानहरू, तयारी पोशाक तथा जुत्ताहरू | | |
| १६– ४ | धातुबाट बनेका ट्रङ्क बक्स | ५ | – |
| १६– ५ | प्लाष्टीक, फाइबर, कार्डबोर्ड, क्यानभास र अरू सामानबाट बनेको बाकस, सूटकेश, ड्रैभलिग ब्याग, बेड होल्डर र यस्तै सफरका सामानहरू | – | ६ |
| १६– ६ | ह्यान्डब्याग, पर्स, झोला, मनीब्याग आदि | – | ६ |
| | १७. वैज्ञानिक यन्त्र, चश्मा तथा फोटोग्राफिका सामानहरू | | |
| १७– ६ | भ्यूवर, स्लाईड, दुर्बिन आदि | – | ६ |
| १७– ७ | फोटोग्राफी स्टुडियो सम्बन्धी रासायनिक मसला, केमिकल एसिड र अरू यस्तै सामानसमेत | – | ६ |
| १७– ८ | सिनेमा फिल्म खिची सकेको (फिर्ता पठाउने स्तरमा अस्थायी पैठारी भएको बाहेक) | – | ६ |
| | २०. सुन, चाँदी, प्लाटिनम र जवाहिरात | | |
| २०– ४ | सुन, चाँदी, नक्कली गहना रस्टोनहरू | – | ६ |
| | २२. पेय पदार्थ | | |
| २२– २ | रक्सी नपरेको पिउने पदार्थ जस्तै- मिनरल वाटर, कोकोकोला आदि | – | ६ |
| २२– ३ | रक्सी बनाउँदा मिसाउने अल्कोहल, एर्सेस, रंग, ब्लेण्डेड ह्वीस्की आदि | – | ६ |
| | २३. सुखा फलफूल र बोतल वा टीन प्याक सामानहरू | | |
| २३– ८ | हर्लिक्स, मिल्क पाउडर, कण्डेन्सड मिल्क, साबुदाना | – | ६ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| २३– ९ | प्याक भएको सागपात खाद्यान्न मासु आदि | – | ९ |
| २३–१० | माछा मासुको एसेंस | – | ९ |

२४. अन्यत्र नपरेको

| | | | |
|---|---|---|---|
| २४–१२ | चमरीको पुच्छर, चराको प्वाँख, मानिसको रौं, सुंगुरको जगर | – | ९ |
| २४–१३ | गौलोचन | – | ९ |
| २४–१४ | मेन्थल क्रिस्टल, सिलिकेट | – | ९ |
| २४–१५ | महुवा, टेमा, छुवा | – | ९ |
| २४–१६ | इष्ट, बेकिङ्ग पाउडर, एक्टीक ड्राइ पेष्ट र यस्तै रासायनिक पदार्थहरू | ५ | – |
| २४–१७ | भरी ल्याएको ग्यांस सिलिण्डर | ५ | – |
| २४–१८ | मैनबत्ती, प्याराफिन र यस्तै बल्ने वस्तुबाट बनाइएका चिजहरू | – | ९ |
| २४–१९ | सिनेमा कार्बोन | – | ९ |
| २४–२० | सिन्थेटिक ग्लू, पारो (मर्करी), रबर, सल्यूसन, टेप आदि | ५ | – |
| २४–२१ | पानपत्ता, पानको मसला, खयर, नस र जर्दा | ५ | – |
| २४–२२ | स्पीरिट | ५ | – |
| २४–२३ | फर्निस आयल र जूट बैचिङ्ग आयल | ५ | – |
| २४–२४ | अभ्रक | ५ | – |

द्रष्टव्यः– (१) यस अनुसूचीमा उल्लेख भएकाबाहेक आर्थिक ऐन, २०२६ बमोजिम बिक्रीकर लाग्ने माल र वस्तुमध्ये मूल्यको ५ प्रतिशत बिक्रीकर लाग्नेमा सोही दरले र ७ प्रतिशत लाग्नेमा ९ प्रतिशतका दरले बिक्रीकर लगाइने र असूलउपर गरिनेछ ।

(२) रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० बमोजिम ठेक्का बन्दोवस्त भएको मदिराको बिक्री कर ठेक रकमलाई डेढी (१½) गरी बिक्री मूल्य कायम मानी सोमा बिक्रीकर असूलउपर गरिनेछ ।

(३) प्याक भएको भन्नाले कुनै चीज सडने, गल्ने वा बिग्रिनेबाट बचाउने एयर टाइट गरी प्याक भएको सम्झनुपर्छ । तर, यसले कुनै चीज ढुवानी सम्बन्धमा प्याक हुने कन्टेनरलाई जनाउने छैन ।

लालमोहर सदर मिति–२०२७।५।१०।४

आज्ञाले–
रमानन्दप्रसाद सिंह
श्री ५ को सरकारको सचिव ।

अधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ

श्री ५ को सरकार

## कानून तथा न्याय मन्त्रालय

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले बनाइबक्सेको तल लेखिएबमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छः–

२०२७ सालको ऐन नं. ५

**स्वस्तिश्री गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरूदावली विराजमान मानोन्नत महेन्द्रमाला परम नेपालप्रतापभास्कर ओजस्विराजन्य परम गौरवमय तेजस्वी त्रिभुवनप्रजातन्त्रश्रीपद परम उज्ज्वल कीर्तिमय नेपालश्रीपद परम प्रोज्ज्वल नेपालतारा परम पवित्र ॐ रामपट्ट परम ज्योतिर्मय सुविख्यात त्रिशक्तिपट्ट परम सुप्रसिद्ध प्रबल गोरखादक्षिणबाहु परमाधिपति अतिरथी परम सेनाधिपति श्री श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव देवानाम् सदा समरविजयिनाम् ।**

### राजकाज (अपराध र सजाय) ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः– राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ (यसपछि मूल ऐन भनिएको) लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः– (१) यस ऐनको नाम "राजकाज (अपराध र सजाय) (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२७ रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधनः– (१) मूल ऐनको दफा ६ को उप-दफा (२) को सट्टा देहायको उप-दफा (२) राखिएको छ–

(२) कसैले लेखेर वा वचन वा आकार चिह्नद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट श्री ५ को सरकारको काम कारवाहीको उल्लेख गरी निराधार अप्रमाणित कुरा देखाई श्री ५ को

सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुइहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

तर, श्री ५ को सरकारप्रति घृणा, द्वेष, अवहेलना नगरी नगराई वा सो गर्ने उद्योग नगरी कुनै सरकारी नीति वा प्रशासकीय काम कारवाही कानूनी तवरले परिवर्तन गराउने उद्देश्य लिई स्वस्थ एवं संयमपूर्ण भाषामा आलोचना गरेमा यो उप-दफा अन्तर्गत अपराध गरेको मानिने छैन ।

(२) मूल ऐनको दफा ६ को उप-दफा (३) को सट्टा देहायको उप-दफा (३) राखिएको छ–

(३) कसैले वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय वा अरू जुनसुकै आधारमा स्वतन्त्र एवं अभिभाज्य नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता वा प्रादेशिक अखण्डतामा खलल पर्न सक्ने गरी घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने काम कारवाई गरे गराएमा वा सो गर्न उद्योग वा दुरुत्साहन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीनहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

लालमोहर सदर मिति– २०२७।५।१०।४

आज्ञाले–
रमानन्दप्रसाद सिंह
श्री ५ को सरकारको सचिव ।

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार